ADMINISTRATIVE ORDER FOR ATTENDING SEMINAR/SYMPOSIUM etc. WITH PRIOR PERMISSION

कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय के अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिकों को बिना यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत हुए सेमीनार/सिम्पोजियम/ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम में भाग लेने हेतु समय समय पर कार्यालय ज्ञाप/सरकुलर के माध्यम से प्रतिबन्धित किया गया है, फिर भी ऐसा देखा जा रहा कि पूर्व निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कुछ अधिकारी/शिक्षक/वैज्ञानिक, सक्षम अधिकारी बिना यात्रा कार्यक्रम अनुमोदित हुए सेमीनार/सिम्पोजियम/ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम में भाग लेने हेतु चले जाते हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से अवैधानिक है। इस स्थिति पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिना पूर्व अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के सेमीनार आदि में प्रतिभाग करने को प्रतिबन्धित किया गया है।

अतः बिना अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम के सेमीनार/सिम्पोजियम/ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुख्यालय से प्रस्थान करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किया जाता है। इसका अनुपालन न करने पर सम्बन्धित का यात्रा भत्ता/यात्रा अवधि का वेतन रोकते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी/ शिक्षक/वैज्ञानिक स्वयं उत्तरदायी होंगें।

यह ज्ञाप सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(ए0के0सिंह)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय नरेन्द्र नगर कुमारगंज अयोध्या

पत्रांक : ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/का.अधी./का.ज्ञाप/577 दिनांक 25 मई, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ शिक्षकों/वैज्ञानिकों से उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें –

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक
2. समस्त नियन्त्रक अधिकारी/ विभागाध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी–शोध व प्रसार केन्द्र
3. वित्त नियन्त्रक
4. गार्ड फाइल

(ए0के0सिंह)
निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण

Karyalayagyap

Acharya Narendra Dev University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Ayodhya - 224229 (U.P.)

No- ANDUAT-07/Recruitment-KVK/2022/ 496

ORDER

Date : 15.05.2022

Ajay Kumar S/O Sri Late. Shri Shishu Pal Singh
VPO- Dilgoura, Sambhal-244302

Appointment on the post of Subject Matter Specialist (T-6).

With reference to your application for the post of **Subject Matter Specialist (T-6)** as per recommendation of Selection Committee and approval of Board of Management of this University, you are hereby appointed on the post of **Subject Matter Specialist (T-6), Entomology/Nematology** under **OBC** category in P.B.-3 Rs.15,600-39,100+GP Rs. 5400, Pay level – 10 (as per 7th CPC) + DA and other allowances. Your head quarter will be at Krishi Vigyan Kendra, Sonbhandra/Tisuhi, Mirzapur (U.P.).

The other terms & conditions will be as follows :-

1. You will be governed by the University Act/ICAR Statutes/Orders which may be framed/amended from time to time.
2. All service benefits shall be granted as per ICAR schedule of term and condition for governing grants- in-aid.
3. You will be on probation for a period of one year which may be extended for another one year.
4. You will be required to produce medical certificate of fitness from the authorized Chief Medical Officer/Medical Officer and two testimonials (other than relatives).
5. You are also required to execute a Form of Contract approved by the Board of Management (BOM) of this University on Rs. 100 non judicial stamp paper at the time of joining.
6. In service candidate need to submit relieving certificate at the time of joining.
7. You have to send your acceptance **within 15 days** from the issue of this order. Otherwise it would be presumed that you are not interested and step will be taken to offer to the next candidate.
8. You are hereby advised to join within the maximum period of **one month from the date of issue of this order,** failing which the offer of appointment may be treated as withdrawn.
9. Your pay will be fixed as per ICAR rules. The post is temporary but likely to be continued.
10. At any stage of your service, if any declaration/information, furnished by you in the application form, is found false or found to have suppressed or concealed, you will be liable to removal from the service and any such other action as may be deemed necessary, will be taken.
11. You should report for duty to the concerned **Senior Scientist and Head of the K.V.K.**
12. The employee can be transferred from one KVK to another KVK within university jurisdiction.
13. The appointment of the employee is limited in time and the tenure of the service will automatically be terminated on the expiry of the scheme/project.
14. No TA/DA will be paid to the candidate for joining the post.

(Bijendra Singh)
Vice Chancellor

No- ANDUAT-07/Recruitment-KVK/2022/

Date : 15.05.2022

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1. Director Extension.
2. Senior Scientist and Head, KVK, Sonbhandra/Tisuhi, Mirzapur.
3. Comptroller
4. Estt.- I for entry in manpower register.
5. PF of concerned SMS (T-6)

M-I.A.KVKs.Appt.order2022

(A.K. Singh)
Director, Administration& Monitoring

NARENDRA DEVA UNIVERSITY OF AGRICULTURE & TECHNOLOGY
KUMARGANJ, AYODHYA-224229

ORDER

No- NDUAT 07/Appt. /

Date : 18/02/2019

Dr. Piyusha Singh D/O Sri R.D. Singh
W/O Dr. Naveen Kumar Singh, B-132, NDUAT, Kumarganj,
Ayodhya-224229

With reference to your application for the post of Assistant Professor, Genetics & Plant Breeding as per approval of Board of Management of this University, you are hereby appointed on the post of **Assistant Professor, Genetics & Plant Breeding** in the pay scale Rs.15600-39100,AGP Rs. 6000. Your headquarter will be at **Azamgarh Campus**, but you are liable to do teaching or research or extension work as may be determined by the Vice Chancellor or by any other competent authority from time to time. It will be open to the University to depute you to work elsewhere for specific period.

The other terms & conditions will be as follows :-

1. Terms and conditions of service in the University you will be governed by the University Act and Statutes/Orders which may be framed/amended from time to time.
2. You will be on probation for a period of one year which may be extended for another one year.
3. You will be required to produce a medical certificate of fitness from the authorized Government Chief Medical Officer/Medical Officer.
4. You are also required to execute a Form of Contract approved by the Board of Management (BOM) of this University, at the time of joining.
5. You will be required to provide a relieving letter from your present employer at the time of joining.
6. You have to send your acceptance through mail/E mail **within 15 days** from the issue of this letter otherwise it would be presumed that you are not interested and steps will be taken to offer the post to next person. Any delay in this respect will be the liability of the concerned candidate.

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज–अयोध्या–224229

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या के अन्तर्गत विभिन्न महाविद्यालय/निदेशालय के नव सृजित/रिक्त शैक्षणिक/शोध/प्रसार के पदों पर आरक्षण रोस्टर उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2 शासनादेश सं0 5/2019/4/1/2002/का–2/2019 टी.सी.–1 लखनऊ दिनांक 13.8.2019, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 शासनादेश सं0 977/सत्तर–1/2019–16(19)/2019 दिनांक 2.9.2019, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग पत्रांक 1178/67–कृशिअ–21–1001(099)/301/2019 दिनांक 7.7.2021, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक वीसी/2021/269 दिनांक 30.7.2021 एवं कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग पत्रांक 1728727/2021/कृशिअ–67–1001(099)/301/2019 दिनांक 10.9.2021 के अनुसार रोस्टर का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है–

विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/सहायक आचार्य/असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर 100 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम (हिन्दी)	महाविद्यालय का नाम (हिन्दी)			सहायक आचार्य/सहायक प्राध्यापक		
			OLD (95)	NEW (24)	पदों की संख्या	रोस्टर क्रमांक	वर्ग रोस्टर के अनुसार
1	आधारभूत अभियन्त्रण एवं प्रयुक्त विज्ञान	महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW	1	1	अनुसूचित जाति
2	आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	कृषि महाविद्यालय	OLD		3	2	अनारक्षित
	आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	कृषि महाविद्यालय	OLD			3	अन्य पिछड़ा वर्ग
	आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन	कृषि महाविद्यालय	OLD			4	अनारक्षित
3	कीट विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD		2	5	अनुसूचित जाति
	कीट विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD			6	अनारक्षित
4	कृषि जैव रसायन	कृषि महाविद्यालय	OLD		1	7	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	कृषि महाविद्यालय प्रशासन	कृषि महाविद्यालय	OLD		1	8	अनारक्षित
6	कृषि यंत्र एवं शक्ति अभियन्त्रण	महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW	2	9	अन्य पिछड़ा वर्ग
	कृषि यंत्र एवं शक्ति अभियन्त्रण	महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW		10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
7	कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन	कृषि महाविद्यालय	OLD		3	11	अनुसूचित जाति
	कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन	कृषि महाविद्यालय	OLD			12	अनारक्षित
	कृषि व्यवसाय एवं प्रबन्धन	कृषि महाविद्यालय	OLD			13	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	कृषि सांख्यिकी	कृषि महाविद्यालय	OLD		1	14	अनारक्षित
9	खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW	2	15	अनुसूचित जाति
	खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	OLD			16	अनारक्षित
10	खेल–कूद	छात्र कल्याण विभाग	OLD		1	17	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	जलजीव पालन विभाग	मात्स्यिकी महाविद्यालय		NEW	2	18	अनारक्षित
	जलजीव पालन विभाग	मात्स्यिकी महाविद्यालय	OLD			19	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	जैवीय पर्यावरण प्रबन्धन	मात्स्यिकी महाविद्यालय		NEW	1	20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
13	तुड़ाई उपरान्त प्रौद्योगिकी	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW	1	21	अनुसूचित जाति
14	नवीकरणीय ऊर्जा अभियन्त्रण	महामाया कृषि अभियन्त्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW	1	22	अनारक्षित
15	परिवार संसाधन प्रबन्धन एवं उपभोक्ता विज्ञान	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW	2	23	अन्य पिछड़ा वर्ग
	परिवार संसाधन प्रबन्धन एवं उपभोक्ता विज्ञान	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	OLD			24	अनारक्षित
16	पशु उत्पाद प्रबन्धन	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		1	25	अनुसूचित जाति
17	पशु औषधि एवं विष विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		1	26	अनारक्षित
18	पशु चिकित्सा क्लीनिकल व्यवसाय	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		3	27	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पशु चिकित्सा क्लीनिकल व्यवसाय	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD			28	अनारक्षित

	पशु चिकित्सा क्लीनिकल व्यवसाय	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD			29	अन्य पिछड़ा वर्ग
19	पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विस्तार शिक्षा	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		1	30	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
20	पशु विकृति विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		2	31	अनुसूचित जाति
	पशु विकृति विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD			32	अनारक्षित
21	पशु शल्य चिकित्सा एवं विकिरण विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		2	33	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पशु शल्य चिकित्सा एवं विकिरण विज्ञान	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD			34	अनारक्षित
22	पशु सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महामारी	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD		2	35	अनुसूचित जाति
	पशु सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महामारी	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय	OLD			36	अनारक्षित
23	पादप अणुजैविकी विज्ञान एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी	कृषि महाविद्यालय	OLD		2	37	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पादप अणुजैविकी विज्ञान एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी	कृषि महाविद्यालय	OLD			38	अनारक्षित
24	पादप रोग विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD		2	39	अन्य पिछड़ा वर्ग
	पादप रोग विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD			40	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
25	पुष्प एवं भूदृश्य विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW	1	41	अनुसूचित जाति
26	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	42	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरीगंज,	OLD		1	43	अन्य पिछड़ा वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कीट विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	44	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कीट विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरीगंज,	OLD		1	45	अनुसूचित जाति
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियंत्रण) कृषि प्रशिक्षण सेवाएं,	OLD		1	46	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियंत्रण) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	47	अनुसूचित जन जाति
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि अभियंत्रण) कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया,	OLD		1	48	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (कृषि वानिकी) प्रक्षेत्र सलाहकारी सेवाएं,	OLD		1	49	अनुसूचित जाति
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि ज्ञान केन्द्र, गाजीपुर,	OLD		1	50	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	51	अन्य पिछड़ा वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरीगंज,	OLD		1	52	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया,	OLD		1	53	अनुसूचित जाति
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप रोग) कृषि ज्ञान केन्द्र, गाजीपुर,	OLD		1	54	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप रोग) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	55	अन्य पिछड़ा वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (पादप रोग) कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया,	OLD		1	56	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (प्रक्षेत्र प्रबन्धन) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	57	अन्य पिछड़ा वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (प्रक्षेत्र प्रबन्धन) कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया,	OLD		1	58	अनारक्षित
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (मृदा विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरीगंज,	OLD		1	59	अनुसूचित जाति
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (मृदा विज्ञान) प्रक्षेत्र सलाहकारी सेवाएं,	OLD		1	60	आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गोण्डा,	OLD		1	61	अन्य पिछड़ा वर्ग
	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, गौरीगंज,	OLD		1	62	अनारक्षित

Anil Kumar

27/11/24

	प्रसार निदेशालय	विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य विज्ञान) कृषि ज्ञान केन्द्र, देवरिया	OLD		1	63	अनुसूचित जाति
27	प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन विभाग	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	OLD		1	64	अनारक्षित
28	प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियंत्रण	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW	1	65	अन्य पिछड़ा वर्ग
29	फल विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW	6	66	अनारक्षित
	फल विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW		67	अन्य पिछड़ा वर्ग
	फल विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW		68	अनारक्षित
	फल विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD			69	अनुसूचित जाति
	फल विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD			70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
30	मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	मात्स्यिकी महाविद्यालय		NEW	1	71	अन्य पिछड़ा वर्ग
31	मात्स्यिकी प्रसार, अर्थिकी एवं सांख्यिकी	मात्स्यिकी महाविद्यालय		NEW	1	72	अनारक्षित
32	मात्स्यिकी संसाधन प्रबन्धन	मात्स्यिकी महाविद्यालय		NEW	1	73	अनुसूचित जाति
33	मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW	2	74	अनारक्षित
	मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	OLD			75	अन्य पिछड़ा वर्ग
34	मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रण	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	OLD		2	76	अनारक्षित
	मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रण	महामाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय		NEW		77	अन्य पिछड़ा वर्ग
35	मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन	कृषि महाविद्यालय	OLD		1	78	अनारक्षित
36	वन संवर्धन एवं कृषि वानिकी	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD		3	79	अनुसूचित जाति
	वन संवर्धन एवं कृषि वानिकी	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD			80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
	वन संवर्धन एवं कृषि वानिकी	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD			81	अन्य पिछड़ा वर्ग
37	वस्त्र विज्ञान एवं डिजाइन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW	4	82	अनारक्षित
	वस्त्र विज्ञान एवं डिजाइन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW		83	अनुसूचित जाति
	वस्त्र विज्ञान एवं डिजाइन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय		NEW		84	अनारक्षित
	वस्त्र विज्ञान एवं डिजाइन	सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय	OLD			85	अन्य पिछड़ा वर्ग
38	शोध निदेशालय	अनुसंधान अधिकारी सहराइच में जूट शोध केन्द्र अनुसंधान अधिकारी	OLD		1	86	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	बीज उत्पादन सहायक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD		2	87	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	बीज उत्पादन सहायक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD			88	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	बीज तकनीकी सहायक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD		2	89	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	बीज तकनीकी सहायक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD			90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक तिलहनी फसलों पर अनुसंधान योजना (जीपीबी)	OLD		8	91	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक दलहनी फसलों पर अनुसंधान योजना (जीपीबी)	OLD			92	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक फैजाबाद में नए धान शोध केन्द्र की स्थापना सहायक धान अभिजनक	OLD			93	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक बाढ़ योजना घाघराघाट सहायक पादप अभिजनक	OLD			94	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD			95	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृणीकरण (बीज	OLD			96	अनारक्षित

Anil Kumar

		उत्पादन इकाई)					
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सृदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD			97	अनुसूचित जन जाति
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक शाक भाजी फसलों पर अनुसंधान योजना (सब्जी)	OLD			98	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक अभिजनक शाक भाजी फसलों पर अनुसंधान योजना (सब्जी)	OLD			99	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	सहायक कीट विद तिलहनी फसलों पर अनुसंधान योजना (जीपीवी)	OLD		4	100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक कीट विद बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सृदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD			101	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	सहायक कीट विद शाक भाजी फसलों पर अनुसंधान योजना (सब्जी)	OLD			102	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक कीट विद शोध योजना फसल अनुसंधान केन्द्र मसौधा	OLD			103	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक जीव रसायन विद शोध योजना फसल अनुसंधान केन्द्र मसौधा	OLD		1	104	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक निदेशक शोध निदेशालय कृषि प्रयोग केन्द्र,	OLD		1	105	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	सहायक पादप रोग विद बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सृदृणीकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD		4	106	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक पादप रोग विद शाक भाजी फसलों पर अनुसंधान योजना (सब्जी)	OLD			107	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक पादप रोग विद तिलहनी फसलों पर अनुसंधान योजना (जीपीवी)	OLD			108	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सहायक पादप रोग विद शोध योजना फसल अनुसंधान केन्द्र मसौधा	OLD			109	अन्य पिछड़ा वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक बीज तकनीकी विद बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सृदृणकरण (बीज उत्पादन इकाई)	OLD		1	110	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
	शोध निदेशालय	सहायक सस्य विद फैजाबाद में नए धान शोध केन्द्र की स्थापना सहायक धान सस्य विद	OLD		2	111	अनुसूचित जाति
	शोध निदेशालय	सहायक सस्य विद शाक भाजी फसलों पर अनुसंधान योजना (सब्जी)	OLD			112	अनारक्षित
	शोध निदेशालय	सांख्यकी विद शोध योजना फसल अनुसंधान केन्द्र मसौधा सांख्यकी विद	OLD		1	113	अन्य पिछड़ा वर्ग
39	सब्जी विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW	3	114	अनारक्षित
	सब्जी विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय		NEW		115	अनुसूचित जाति
	सब्जी विज्ञान	उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय	OLD			116	अनारक्षित
40	सस्य विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD		2	117	अन्य पिछड़ा वर्ग
	सस्य विज्ञान	कृषि महाविद्यालय	OLD			118	अनारक्षित
41	सिंचाई एवं जल निकास अभियंत्रण	गंगाभाया कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	OLD		1	119	अन्य पिछड़ा वर्ग
		TOTAL 119 NEW 24 OLD 95					

27.12.2021
(सुशील कुमार)
सह प्राध्यापक (पादप रोग)/
सदस्य

(अनिल कुमार) 27/12/2021
अध्यक्ष, नियुक्ति प्रकोष्ठ/
सदस्य

(प्रमोद कुमार)
सहायक प्राध्यापक/
सदस्य

(अशोक कुमार)
प्रशासनिक अधिकारी/सचिव

27/12/21

27/12/21
(वेद प्रकाश)
अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय/अध्यक्ष

GOVERNMENT ORDER FOR ROASTER

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 दवारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोडकर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्दवारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

1- अनुसूचित जाति
2- अनारक्षित
3- अन्य पिछडा वर्ग
4- अनारक्षित
5- अनुसूचित जाति
6- अनारक्षित
7- अन्य पिछडा वर्ग
8- अनारक्षित
9- अन्य पिछडा वर्ग
10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

11- अनुसूचित जाति
12- अनारक्षित
13- अन्य पिछडा वर्ग
14- अनारक्षित
15- अनुसूचित जाति
16- अनारक्षित
17- अन्य पिछडा वर्ग
18- अनारक्षित
19- अन्य पिछडा वर्ग
20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
21- अनुसूचित जाति
22- अनारक्षित
23- अन्य पिछडा वर्ग
24- अनारक्षित
25- अनुसूचित जाति
26- अनारक्षित
27- अन्य पिछडा वर्ग
28- अनारक्षित
29- अन्य पिछडा वर्ग
30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
31- अनुसूचित जाति
32- अनारक्षित
33- अन्य पिछडा वर्ग
34- अनारक्षित
35- अनुसूचित जाति
36- अनारक्षित
37- अन्य पिछडा वर्ग
38- अनारक्षित
39- अन्य पिछडा वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
41- अनुसूचित जाति
42- अनारक्षित
43- अन्य पिछडा वर्ग
44- अनारक्षित
45- अनुसूचित जाति
46- अनारक्षित
47- अनुसूचित जनजाति
48- अनारक्षित
49- अनुसूचित जाति
50- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
51- अन्य पिछडा वर्ग
52- अनारक्षित
53- अनुसूचित जाति
54- अनारक्षित
55- अन्य पिछडा वर्ग
56- अनारक्षित
57- अन्य पिछडा वर्ग
58- अनारक्षित
59- अनुसूचित जाति
60- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
61- अन्य पिछडा वर्ग
62- अनारक्षित
63- अनुसूचित जाति
64- अनारक्षित
65- अन्य पिछडा वर्ग
66- अनारक्षित
67- अन्य पिछडा वर्ग
68- अनारक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

69- अनुसूचित जाति
70- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
71- अन्य पिछड़ा वर्ग
72- अनारक्षित
73- अनुसूचित जाति
74- अनारक्षित
75- अन्य पिछड़ा वर्ग
76- अनारक्षित
77- अन्य पिछड़ा वर्ग
78- अनारक्षित
79- अनुसूचित जाति
80- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
81- अन्य पिछड़ा वर्ग
82- अनारक्षित
83- अनुसूचित जाति
84- अनारक्षित
85- अन्य पिछड़ा वर्ग
86- अनारक्षित
87- अन्य पिछड़ा वर्ग
88- अनारक्षित
89- अनुसूचित जाति
90- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
91- अन्य पिछड़ा वर्ग
92- अनारक्षित
93- अनुसूचित जाति
94- अनारक्षित
95- अन्य पिछड़ा वर्ग
96- अनारक्षित
97- अनुसूचित जनजाति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

98- अनारक्षित

99- अनुसूचित जाति

100- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4(1)/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Scanned by CamScanner

SERVICE ORDER ISSUED TO MRITAK ASHRIT

आदेश

विश्वविद्यालय के कर्मी स्व0 श्री तीर्थराज यादव, पदनाम–**जनरेटर आपरेटर कम मैकेनिक**, विभाग–**शोध निदेशालय** का सेवाकाल में रहते हुए आकस्मिक निधन दिनांक **26.03.2022** को हो जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी मृत सरकारी कर्मचारी आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश सं. ई–12164/जी.एस. दिनांक 30.11.2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर गठित मृतक आश्रित सेवायोजन समिति की संस्तुति दिनांक 23.05.2022 के आधार पर **मृतक स्व. श्री तीर्थराज यादव के पुत्र श्री अंकित कुमार** को मृतक आश्रित के रूप में विश्वविद्यालय सेवा में **निदेशालय निर्माण एंव संयंत्र** में रिक्त **ट्रेसर**, PB-1 Pay Matrics Level-2 Rs. 19900+DA+other allowances के पद पर अनुकम्पा के आधार पर अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है। इनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में इनकी सेवायें बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक/शपथ–पत्र/अन्य अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने की स्थिति में यदि कोई भी अभिलेख त्रुटिपूर्ण या गलत पाये जाते हैं, तो इनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी तथा इनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर की जा रही है, अतः इस पर की गयी नियुक्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हेतु कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

श्री अंकित कुमार को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे:–

1. जिला चिकित्साधिकारी अथवा विश्वविद्यालय चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र।
2. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
3. रू0 10/– के स्टाम्प सहित निर्धारित प्रारूप पर भरा हुआ अनुबन्ध पत्र।
4. रू0 10/– के स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र की सेवायोजन के पूर्व प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षिक अभिलेख/शपथ–पत्र एवं अन्य प्रपत्र पूर्ण रूप से वैध एवं वास्तविक हैं। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पायी जाय तो मेरी नियुक्ति निरस्त कर दी जाय इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर **श्री अंकित कुमार** को अपनी योगदान आख्या **अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), निदेशालय निर्माण एंव संयंत्र** को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

ह0/–
(बिजेन्द्र सिंह)
कुलपति

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या

पत्रांक–ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/स्था./मृतक आश्रित/व्य./2022/760 दिनांक– 15 जून, 2022

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), निदेशालय निर्माण एंव संयंत्र।
2. वित्त नियंत्रक।
3. श्री अंकित कुमार पुत्र स्व0 श्री तीर्थराज यादव, ग्राम सिंहपुर, पोस्ट सेमरानसीरपुर जिला अम्बेडकरनगर (पंजीकृत)।
4. स्थापना–1 व 3 स्थापना अनुभाग।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

(ए0के0 सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं परिवीक्षण

OGUIDELINE ISSUED BY GOVERNOR HOUSE FOR MRITAK ASHRIT

स्पीड पोस्ट

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027

संख्या ई– 12164 / जी0एस0
दिनांक : 30/11/ 2015

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कुमारगंज, फैजाबाद।

विषय— उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–1974 के नियम 2(क) के अनुसार नियोजन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक परिनियमावली में समाहित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित करने विषयक अपने पत्रांक:एनडीयूएटी–07 / स्था–1 / 2011 / 1493, दिनांक 02.12.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में निम्नानुसार समाहित किये जाने का अनुरोध किया गया है:–

"Proposal for Amendement in Act & Statute of Narendra Deva University of Agriculture & Technology, Kumarganj, Faizabad (U.P.)

CHAPTER-XIII- APPOINTMENT OF STAFF as hereunder:-

6-(d) A dependent (wife or husband, son, unmarried daughter and widowed daughter) of an employee of the University who meets with untimely death during the service period may be appointed on any non-teaching post for which he/she is suitable and fulfils the minimum qualifications, without selection procedure.

WITH THE PROVISO THAT

(i) the above facility will be given to only the dependents of permanent employees who have put in atleast 3 years regular service in the University and only if there is no other earning member in the family of the deceased.

(ii) If there are more that one member in the family of deceased, desirous to get employment, then the appointing authority shall select one of such persons on the basis of suitability particularly considering the interest of the widow and minor members to the family of the deceased.

(iii) Such appointment shall be made only against an existing vacancy.

......2/-

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त परिनियमावली संशोधन प्रस्ताव को उ0प्र0 कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा–29 (6) के अन्तर्गत माननीय कुलाधिपति महोदय ने उक्तानुसार यथास्थान पर समाहित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यह आदेश कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रावली संख्या–200(30)/11 में प्राप्त अभिमत के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय

30/11

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. अनुभाग अधिकारी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3. गार्ड फाइल हेतु ।

(चन्द्र प्रकाश)
कुलाधिपति के सचिव।

GUIDELINES ISSUED BY UP GOVT. FOR MRITAK ASHRIT (2014)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–3/6/12/73/का–2–टी.सी.–IV

लखनऊ, दिनांक : 22 जनवरी, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, *उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974* में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली *उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2014* कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 का प्रतिस्थापन

2– *उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974* में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

5– मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया

5– मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती– (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति :–

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जिसके लिए टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया

है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जाएगी, और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी,

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर

ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी.ओ.ई.ए. सी.सी. सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी.सी.सी." प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन–वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक के पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :	परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को जिन्हें वह मामले में न्याय–संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :
परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।	परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा के अवसान के पश्चात सेवायोजन के लिए आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/ सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिए सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।
(2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।	(2) जहाँ तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु से पूर्व सेवायोजित था।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इनकार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)

प्रमुख सचिव।

GUIDELINES ISSUED BY UP GOVT. FOR MRITAK ASHRIT (1974)

अधिनियम, नियम तथा अध्यादेश

उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित नियम, 1974

उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय कर्मचारियों की मृत्योपरान्त मृतक के परिवार को अकस्मात आये संकट से निवृत्ति प्रदान करने, आर्थिक दुर्दशा से बचाने, जीविकोपार्जन के अभाव से मुक्ति प्रदान करने तथा मानवता की दृष्टिकोण को परिपुष्टि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में मृतक आश्रित नियमावली को प्रवृत्त किया। मृतक आश्रित नियमावली द्वारा राज्य सरकार ने मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर परिवार के भरणपोषण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की। माननीय न्यायालय ने मृतक आश्रित नियमावली के सन्दर्भ में यह उल्लेख किया कि"अधिनियम का नियम का निर्वचन इस प्रकार होना चाहिए। कि जिससे मानव कल्याणकारी लक्ष्य पूर्ण हो सके। प्रारम्भ में मृतक आश्रित की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही सम्भव थी किन्तु संशोधनों द्वारा तथा माननीय न्यायालयों की व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में योग्यतानुसार नियुक्तियों का होना सम्भव हो सका। माननीय न्यायालयों ने मृतक आश्रित की नियुक्तियों के लिए अधिसंख्यक पदों पर नियुक्ति करना तथा पदों को स्वतः सृजित मान्य करना संभव कर दिया जिससे मृतक आश्रित परिवार को यथाशीघ्र विहित अनुतोष प्राप्त हो सके। मृतक आश्रित नियमावली, 1974 के अतिरिक्त उ.प्र. अनुकम्पा निधि नियमावली, सामूहिक बीमा योजना, बेनीवोलेण्ड फण्ड से सहायता, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु उपादान, अध्यापक; कल्याण प्रतिष्ठान से आर्थिक सहायता अनुतोषिक नियमावली का निर्माण, भविष्य निधि नियमावली, सामान्य भविष्य निधि अवकाश नगदीकरण आदि अनेक कल्याणकारी योजनायें हैं, जिनके द्वारा मृतक आश्रित परिवार को पूर्ण अनुतोष प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974[1]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा तदर्थ समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विशेष नियमावली बनाते हैं—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह 21 दिसम्बर, 1973 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. परिभाषायें—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में—

(क) सरकारी सेवक का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यकाल के सम्बन्ध में सेवायोजित ऐसे सरकारी सेवक से है जो—

(1) ऐसे सेवायोजन में स्थायी था, या

(2) यद्यपि अस्थायी है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया था, या

(3) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त नहीं है तथापि ऐसे सेवायोजनों में नियमित रिक्ति में तीन वर्ष की निरन्तर सेवा की है।

1 अधि. संख्या 6-12-1973-नियुक्ति-4, लखनऊ : दिनांक 7 अक्टूबर, 1974, दिनांक 21-12-1973 से प्रभावी।

स्पष्टीकरण—नियमित रूप से नियुक्त' का तात्पर्य यथास्थिति, पद पर या सेवा में भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किए जाने से है।

(ख) *"मृत सरकारी सेवक"* का तात्पर्य ऐसे सरकारी सेवक से है जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाय,

[1][(ग) *"कुटुम्ब"* के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे—

(एक) पत्नी या पति

(दो) पुत्र/दत्तक पुत्र,

(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ

(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था,

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी :

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धी कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।]

(घ) *"कार्यालय का प्रधान"* का तात्पर्य उस कार्यालय के प्रधान से है जिस कार्यालय में मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवारत था।

3. [2][नियमावली का लागू किया जाना—(1) यह नियमावली उन सेवाओं और पदों को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं जो पूर्व में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के क्षेत्रान्तर्गत रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती पर लागू होगी।

4. इस नियमावली का अधिरोही प्रभाव—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों के अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यह नियमावली तथा तदधीन जारी किया गया कोई आदेश प्रभावी होगा।

[3][5. मृतक के कुटुम्ब के किसी सदस्य की भर्ती—(1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाये और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में

1 संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/2011, टी.सी.-IV, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. संख्या-6/12/1973-कार्मिक-2/91 दिनांक 12-3-2001 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. नियम 5 (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2014. अधिसूचना संख्या : 6/12/73/का-2-टी.सी.-IV, दिनांक 22 जनवरी 2014 द्वारा संशोधन किया गया जो उ.प्र. असाधारण गजट, भाग-4, खण्ड (क), दिनांक 22 जनवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ। (22-1-2014 से प्रभावी)।

किसी पद पर ऐसे पद को छोड़ कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्ति—

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हतायें पूरी करता हो :

परन्तु यह कि, यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है, जिसके लिये टंकण को एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित किया गया है, और मृत सरकारी सेवक के आश्रित के पास टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर लेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिए उसे अग्रेतर एक वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

परन्तु यह और कि, किसी ऐसे पद पर नियुक्ति किये जाने की दशा में, जिसके लिए कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण एक अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृतक सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०ई०ए० सी०सी० सोसायटी द्वारा प्रदत्त "सी०सी०सी०" प्रमाण-पत्र सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण-पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है तो उसकी, सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता हो :

परन्तु जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है वहाँ वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिये सम्बन्धित व्यक्ति कारणों को स्पष्ट करेगा और आवेदन करने के लिये नियत समय-सीमा के अवसान के पश्चात् सेवायोजन के लिये आवेदन करने में विलम्ब के कारण के सम्बन्ध में ऐसे विलम्ब के समर्थन में आवश्यक अभिलेखों/सबूत सहित लिखित में समुचित औचित्य देगा और सरकार विलम्ब के कारण के लिये सभी तथ्यों पर विचार करते हुए समुचित निर्णय लेगी।

(2) जहाँ तक सम्भव हो ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए, जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(3) उपनियम (1) के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक

(4) जहाँ उपनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम (3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवायें, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

5-क. मई 1973 में मृत पुलिस पी0ए0सी0 कार्मिकों के सदस्य की भर्ती—नियम 5 या किसी अन्य नियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियमावली के उपबन्ध पुलिस या प्रॉविन्शियल आर्म्ड कान्सटुबुलरी के ऐसे बाईस कार्मिकों के जिनकी मृत्यु मई 1973 में ऐसे उपद्रव के परिणामस्वरूप हुई थी, कुटुम्ब के सदस्यों के मामले में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के मामले में लागू होते हैं।

6. सेवायोजन के लिए आवेदन पत्र की विषय वस्तु—इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र जिस पद पर नियुक्त अभिलाषित है, उस पर से सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, किन्तु यह उस कार्यालय के प्रधान को भेजा जायेगा जहाँ मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था। आवेदन पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना दी जायेगी।

(क) मृत सरकारी सेवक की मृत्यु का दिनांक वह विभाग जहाँ और वह पद जिस पर वह अपनी मृत्यु के पूर्व कार्य कर रहा था।

(ख) मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम उनकी आयु तथा अन्य ब्योरे विशेषतया उनके विवाह सेवायोजन तथा आय सम्बन्धी ब्योरे,

(ग) कुटुम्ब की वित्तीय दशा का ब्योरा, और

(घ) आवेदक की शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें यदि कोई हों।

7. प्रक्रिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों—यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हों, तो कार्यालय का प्रधान सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता को विनिश्चय करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषतया उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

8. आयु तथा अन्य अपेक्षाओं में शिथिलता—

(1) इस नियमावली के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु नियुक्ति के समय अठारह वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(2) चयन के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी अपेक्षाओं से यथा लिखित परीक्षा या चयन समिति द्वारा साक्षात्कार से मुक्त कर दिया जायेगा किन्तु अभ्यर्थी पद विधेयक प्रत्याशित कार्य तथा दक्षता के न्यूनतम स्तर को बनाये रखेगा इस बात का समाधान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी का साक्षात्कार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वाधीन होगा।

[1][(3) इस नियमावली में कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया समझा जायेगा और वह तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो जाये।

1 संख्या-6/12-1973-कार्मिक-2/2001 दिनांक 12-8-1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

9. सामान्य अर्हताओं के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान—किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि—

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिनके कारण उसके द्वारा अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा न हो, इस हेतु उसे लागू नियमों के अनुसार समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने और स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

(ग) पुरूष, अभ्यर्थी की दशा में, उसकी एक से अधिक पत्नी जीवित न हों और किसी महिला अभ्यर्थी की दशा में, उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो जो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो।

10. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—राज्य सरकार, इस नियमावली के किसी उपबन्धों के कार्यान्वयन में किसी कठिनाई को (जिसके होने के बारे में वह एक मात्र निर्णायक हो) दूर करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है जिसे वह उचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक या समीचीन समझे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999

उत्तर प्रदेश सरकार

अधिसूचना संख्या 13/9/98-का-1-98

प्रकीर्ण

कार्मिक अनुभाग-1 *लखनऊ, दिनांक 9 जून, 1999*

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाओं के लिए दण्ड एवं अपील नियमावली, 1932 का अधिक्रमण करके निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 229 से आच्छादित उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के सिवाय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन सरकारी सेवकों पर लागू होगी।

2. परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) *"नियुक्ति प्राधिकारी"* का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन पदों पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) *"संविधान"* का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) *"आयोग"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है,

(घ) *"विभागीय जांच"* का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 7 के अधीन जांच से है,

(ङ) *"अनुशासनिक प्राधिकारी"* का तात्पर्य नियम 6 के अधीन शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी से है,

(च) *"राज्यपाल"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) *"सरकार"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ज) *"सरकारी सेवक"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवा और पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(झ) *"समूह क, ख, ग और घ के पदो"* का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या इस संबंध में समय-समय पर जारी सरकार के आदेशों में इस रूप में उल्लिखित पदों से है,

(ञ) *"सेवा"* का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में लोक सेवाओं और पदों से है।

3. शास्तियां—निम्नलिखित शास्तियां, उपयुक्त और पर्याप्त कारण होने पर और जैसा आगे उपबन्धित है, सरकारी सवकों पर अधिरोपित की जा सकेगी—

लघु शास्तियाँ—

(एक) परिनिन्दा,

(दो) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि को रोकना,

(तीन) किसी दक्षतारोक को रोकना,

(चार) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुए आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना,

(पांच) समूह "घ" पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में जुर्माना;

परन्तु ऐसे जुर्माने की धनराशि किसी भी स्थिति में, उस मास के वेतन के, जिसमें जुर्माना अधिरोपित किया गया हो, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

दीर्घ शास्तियां—

(एक) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धि का रोकना,

(दो) किसी निम्नतर पद या श्रेणी या समय वेतनमान या किसी समय वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति करना,

(तीन) सेवा में हटाना जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित नहीं करता हो,

(चार) सेवा से पदच्युति जो भविष्य में नियोजन से निरर्हित करता हो,

स्पष्टीकरण—इस नियम के अर्थ के अन्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति की कोटि में नहीं माना जायेगा, अर्थात :

(एक) किसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहने पर या सेवा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार किसी अन्य शर्त को पूरा करने में विफल रहने पर किसी सरकारी सेवक की वेतनवृद्धि का रोकना,

(दो) दक्षतारोक पार करने के लिए उपयुक्त न पाये जाने के कारण समय वेतनमान में दक्षतारोक पर वेतन का रूक जाना।